न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

भंवरी देवी बनाम अंजू देवी

किस्म मुकदमा ..... मु.नं. 102 वर्ष 24

दिनांक	आज्ञा - पत्र	
11/8/25	प्रश्नावली में प्रार्थीगण की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह एडवोकेट के उपस्थित होकर प्रश्नावली लेने के लिये। प्रकरण के उक्त प्रार्थी वकील के विपक्ष तथा अपने केस का रिजल्ट मिलने के प्रार्थिका गवाह होकर कोर्ट चले जाना चाहते है अतः Not मिलना होने से खारिज किया गया। वकील प्रार्थीगण को कहा न प्रश्नावली का उपयोग करना अतः वकील प्रार्थीगण व प्रार्थिका के हस्ताक्षर कर दे। केस के प्रश्नावली की एक प्रति की जाती है प्रश्नावली विपक्ष को दिए या तकील प्रार्थिका उपस्थित	प्रार्थी प्रार्थिका पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते हैं Note Proceed

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.20 15:47:35 IST
Reason: SelfAttested